न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या- 52/2025
सरकार बनाम सितारा आदि।

वैकल्पिक आरोप

मैं दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान, इकबाल पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँः-

1. यह कि दिनांक 11.01.2025 से पूर्व समय अदम तहरीर, स्थान-ग्राम अगवल अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर में आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी भतीजी मृतका अजरा से अतिरिक्त दहेज की मांग की तथा न मिलने पर उसको लात घूंसों, डन्डों व लोहे की रॉड से पीटकर साशय व ज्ञानपूर्वक उसकी हत्या कारित की। इस प्रकार आपने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 20.01.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 20.01.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या- 52/2025
राज्य-----------बनाम--------- सितारा आदि।

मु०अ०सं०: 13 सन् 2025
धारा : 85, 80(2), बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट व
वैकल्पिक आरोप 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023
थाना : खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगण सितारा व सुल्तान जेल से उपस्थित आये तथा इकबाल उपस्थित आया।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण पर आरोप जुर्म अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान, इकबाल पर जुर्म अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.02.2026 को पेश हो।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः20.01.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.01.20 17:08:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court